



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिये आवश्यक समयबद्ध अनुज्ञापन, अनुज्ञायें व स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "उद्यम" से वस्तुओं की किसी भी रीति से विनिर्माण या उत्पादन में, या कोई सेवा या सेवायें उपलब्ध कराने या देने में लगा हुआ कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कारबार समुत्थान, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;

(घ) "जिला प्राधिकृत समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(च) "राज्य प्राधिकृत समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;

(छ) "नोडल एजेंसी" से धारा 4 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसियां अभिप्रेत है;

(ज) "विनिधानकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी नये उद्यम के या किसी विद्यमान उद्यम में, आये या लाभ या सामान्य सामाजिक हित की प्राप्ति के लिए विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण करने के लिए पूंजी विनिधान करता है;

(झ) "अधिसूचना" से उत्तराखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ञ) "अनुज्ञा" से उत्तराखण्ड राज्य में किसी उद्यम की स्थापना के सम्बन्ध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अनुज्ञापन, आवंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति इत्यादि का मंजूर या जारी किया जाना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी, जो किसी उद्यम द्वारा उसके कार्य प्रारम्भ

करने तक किसी भी उत्तराखण्ड विधि के अधीन अपेक्षित हो;

- (ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "रियायत" से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक उपक्रमों के समूहों को दी जाने वाली सुविधा अभिप्रेत है;
- (ड) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार के कोई विभाग या एजेन्सी, स्थानीय प्राधिकारी, संवैधानिक निकाय (इकाई), राज्य के स्वामित्व वाले निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई भी प्राधिकारी या एजेन्सी, जिनमें राज्य में उद्यम स्थापित करने और संचालन प्रारम्भ करने के लिए, अनुज्ञा प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां निहित हैं, अभिप्रेत है।

राज्य प्राधिकृत
समिति एवं जिला
प्राधिकृत समिति
का गठन एवं
अधिकारिता

3. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सदस्यों को शामिल कर, जो उसमें विहित किए गये हैं, राज्य स्तर पर एक राज्य प्राधिकृत समिति और राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला प्राधिकृत समिति का गठन कर सकेगी।
- (2) राज्य प्राधिकृत समिति और जिला प्राधिकृत समिति की अधिकारिकता— विनिधान का वह वर्ग, जिसके लिए या विनिधान की सीमाएं, जहां तक राज्य प्राधिकृत समिति या किसी जिला प्राधिकृत समिति को अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए, और उन्हें निपटाने की अधिकारिकता ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।
- (3) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से मीटिंग में भाग लें और भाग लेने में असमर्थ होने की स्थिति में एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को लिखित रूप से अधिकृत कर, उचित निर्णय लेने के लिए बैठक में भाग लेने हेतु नियुक्त करेंगे।
- (4) (क) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति किसी भी उद्यम के स्थापनार्थ प्रस्ताव का परीक्षण करेगी और एक निर्णय लेगी तथा अपने निर्णय से उद्यमी और सम्बन्धित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, अवगत करायेगी;
- (ख) समिति ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी एवं अपने कार्य निष्पादन के लिए ऐसी पद्धति अपनाएगी जैसा कि विहित किया जाय;
- (ग) राज्य की किसी भी विधि की व्यवस्थाओं से रियायत देने या छूट स्वीकृत करने या शिथिलीकरण के आवेदनों का राज्य प्राधिकृत समिति परीक्षण करेगी, यदि कोई हों तो विभागों की टिप्पणियों का संज्ञान लेगी, जहां कहीं आवश्यकता हो विनिधानकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेगी और सरकार को अपनी संस्तुतियां देगी।

नोडल एजेंसी

4. (1) उद्योग निदेशालय में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ राज्य प्राधिकृत समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।
- (2) जिला उद्योग केन्द्र, जिला प्राधिकृत समिति के लिए नोडल एजेंसी होंगे।

नोडल एजेंसी के शक्तियां व कृत्य

5. (1) सरकार और राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए नोडल एजेंसी की शक्तियां व कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) समिति उसके सम्मुख रखे गये परियोजनाओं पर स्वीकृति देने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगी। समिति द्वारा दी गई स्वीकृतियां सभी सम्बन्धित विभागों व प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगी और ऐसे विभाग या प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर-भीतर उद्यमी द्वारा केन्द्र या राज्य अधिनियम के प्राविधानों और उनमें बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन आवश्यक अनुज्ञापन जारी करेगी;

(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है, तो किसी उत्तराखण्ड विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति को, उत्तराखण्ड विधि के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी। इस प्रयोजन के लिए ऐसी विधि में सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए लगाया जायेगा :

परन्तु यह कि जहां समिति तुरन्त बैठक करने में या आवेदन पर विचार करने में अन्यथा असमर्थ है, वहां संबंधित समिति का अध्यक्ष, लेखबद्ध कारणों से, आवेदन को विनिश्चित कर सकेगा और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में उसको प्रस्तुत कर सकेगा और समिति के किसी निश्चय के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष का विनिश्चय, सभी प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन संबंधित समिति का निश्चय समझा जायेगा;

(ग) आवेदन प्ररूपों को पूर्ण करने में विनिधानकर्ताओं की सहायता करना, पूर्ण किये गये आवेदनों को अभिस्वीकृत करना और ऐसे आवेदन को धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर कार्यवाही करने और निपटारे के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को अग्रेषित करना।

(घ) आवेदनों की प्रास्थिति मानीटर करना और आवेदनों की प्रास्थिति की रिपोर्ट को

राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के सक्षम रखना;

(ड) जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने में विफल रहा है, वहां विनिधानकर्ता के आवेदन को राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखना;

(च) धारा 14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से आवेदन प्राप्त करना;

(छ) धारा 14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करना;

(ज) संबंधित विभाग या प्राधिकारी की टिप्पणियां, यदि कोई हो, को धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर राज्य प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करना;

(झ) यदि विहित समय सीमा में संबंधित विभाग या प्राधिकारियों से कोई भी टिप्पणी प्राप्त न हो तो धारा 14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदन को धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर, राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ञ) राज्य प्राधिकृत समितियां या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति को कार्यालयी सहायता प्रदान करना;

(ट) पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना;

(ठ) राज्य प्राधिकृत समिति और जिला प्राधिकृत समिति को ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें, समनुदेशित किये जा सकेंगे।

(2) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी भी उपधारा (1) में उल्लिखित कार्य करेगी और इसके अतिरिक्त उद्यमियों को निम्न सम्बन्धित पर ब्यौरा देने के लिए एक उद्यमी निर्देशिका तैयार करेगी और उसके नियमित रूप से अद्यतन करेगी :-

(क) राज्य और केन्द्रीय औद्योगिक नीतियां;

(ख) विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यक अनुज्ञापन प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ग) राज्य की औद्योगिक प्रास्थिति और उपलब्ध विशेषता पर सूचना;

(घ) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और एक औद्योगिक उपक्रम पर लागू होने वाले, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम; और

(ङ) उद्यमियों के लिए उपयोगी अन्य कोई जानकारी।

संयुक्त आवेदन-
प्रारूप

6. (1) सरकार, या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में, एक ऐसा आवेदन प्रारूप विहित करने के लिए सक्षम होगी, जो:-
- (क) केन्द्रीय विधियों के अधीन प्रारूपों, और
- (ख) उत्तराखण्ड विधियों के अधीन विद्यमान प्रारूपों या विद्यमान प्रारूपों के स्थान पर नये प्रारूपों या उपातरित प्रारूपों से मिलकर बनेगा।
- (2) सभी संबंधित विभाग या प्राधिकारी कार्यवाही करने के लिए और अपेक्षित अनुज्ञा जारी करने के लिए ऐसा आवेदन प्रारूप स्वीकार करेंगे।

स्वप्रमाणन

7. (1) प्रत्येक उद्यमी, नोडल एजेंसी को आवेदन प्रारूप प्रस्तुत करने के समय, ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाये, नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किया गया एक स्व-प्रमाणन देगा कि वह सुसंगत विधियों के लागू होने योग्य उपबंधों का अनुपालन करेगा। शपथ पत्र ऐसे प्रारूप पर दिया जायेगा, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- (2) उद्यमी द्वारा दिया गया स्वप्रमाणन प्रत्येक विभाग व प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापन जारी करने व मंजूरी करने के उद्देश्य के लिए एवं उद्यमियों का अन्य लाभ दिये जाने के लिए स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन प्रस्तुत
करने एवं निस्तारण
करने की प्रक्रिया

8. (1) आवेदन प्रारूप और अनुज्ञापन के लिए शुल्क :-
- (क) कोई भी आवेदक, जो उत्तराखण्ड राज्य में एक उद्यम स्थापित करने का इच्छुक हो, ऐसे संयुक्त आवेदन पत्र पर ऐसी फीस के साथ, जो सरकार द्वारा विहित की जाय, नोडल एजेंसी को आवेदन करेगा;
- (ख) शुल्क, जैसा कि ऊपर विहित किया गया है, किसी प्राधिकारी अथवा विभाग द्वारा किसी केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत विहित शुल्क यदि को हो, के अतिरिक्त होगा और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस नियम के अन्तर्गत विहित हो;
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांक श्रेणी के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा शुल्क से समुचित छूट हेतु अधिसूचित किया जा सकेगा और सूक्ष्म उद्यम शुल्क भुगतान से मुक्त रखे जा सकेंगे।

शुल्क की दर:-

• लघु	-	रुपये 1000/-
• मध्यम	-	रुपये 5000/-
• बृहत/भारी	-	रुपये 10000/-

- (2) अनुज्ञापन के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद नोडल एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं संतुष्ट होगा कि आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, यदि ऐसा है,

तो वह आवेदन प्राप्ति के संकेत के रूप में एक पावती देगा।

- (3) नोडल एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पावती दिये जाने के बाद वह आवेदन पंजिका में अनुज्ञापनों के लिए आवेदन की प्रवृष्टि करेगा। प्रत्येक कार्यदिवस के अंत में नोडल एजेंसी के प्रमुख द्वारा आवेदनों की पंजिका की जाँच की जाएगी और सही होना प्रमाणित किया जायेगा।
- (4) सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को धारा 10 में विहित कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन-पत्र के सुसंगत भाग भेजे जाएंगे।
- (5) सम्बन्धित सक्षम अधिकारी धारा 10 में विहित कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करेगा और अपने निर्णय से नोडल एजेंसी को अवगत करायेगा।
- (6) सक्षम विभाग या प्राधिकारी विहित कालावधि में नोडल एजेंसी द्वारा मांगी गई टिप्पणी देगा और यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी उपर्युक्त कालावधि के भीतर-भीतर टिप्पणी प्रदान करने में विफल रहता है, यह समझा जायेगा कि संबंधित विभाग या प्राधिकारी को आवेदन पर अनुज्ञापन देने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।
- (7) अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्ति -
 - (क) अपने निर्णय से अवगत कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी यदि आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना मांगना आवश्यक समझता है, तो अनुज्ञा के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद धारा 10 में विहित कालावधि के भीतर-भीतर नोडल एजेंसी को सूचना देते हुए उसको मांग सकता है;
 - (ख) इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचना, आवेदक द्वारा सीधे सक्षम अधिकारी को नोडल एजेंसी को सूचित करते हुए निहित कालावधि के भीतर-भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। हालांकि ऐसी अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जायेगी और न कि टुकड़ों में बार-बार;
 - (ग) कोई अतिरिक्त सूचना मांगे जाने की स्थिति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोडल एजेंसी को निर्णय से अवगत कराने के निर्धारित समय की गुणना अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी;
 - (घ) ऐसी स्थिति में यदि नोडल एजेंसी द्वारा यह पाया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अनापेक्षित है या यह उपरोक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत निहित समय के बाद चाही गई है, तो यह समझा जायेगा कि अतिरिक्त सूचना की कोई भी आवश्यकता नहीं थी और निर्णय से अवगत कराने की कालावधि की गणना अनुज्ञापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की मूल तिथि से की जायेगी;
 - (ङ) सम्बन्धित नोडल एजेंसियों द्वारा आवेदनों की अनुज्ञाओं की प्रास्थिति की आख्या

राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी;

(ब) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति क्रमशः अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय से अवगत करायेगी;

(छ) आवेदनों की अनुज्ञापनों की प्राप्ति की निगरानी माह में 01 बार राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति द्वारा की जायेगी।

डीम्ड स्वीकृति

9. प्रत्येक विभाग या प्राधिकारी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृतियां जारी करेगा। जिन मामलों में आवेदक निर्धारित अर्हता, शर्त इत्यादि पूर्ण करते हैं और यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञायें/स्वीकृतियां जारी किये जाने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अनुज्ञापन जारी होना समझे जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा

10. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी उत्तराखण्ड विधि, नीति या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।
- (2) सरकार, नोडल एजेंसी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणियों के लिए और उनको राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।
- (3) सरकार, राज्य प्राधिकृत समिति के लिए, इसकी सिफारिशें मंत्रि-परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति

11. प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी अपने से सम्बन्धित किसी भी मामले की सूचना देने की दृष्टि से अपने प्रधान कार्यालय और प्रत्येक जिले में भी जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी की बाध्यताएं

12. (1) सक्षम प्राधिकारी नोडल एजेंसी द्वारा उसको अग्रेषित किये गये आवेदन पर धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा।
- (2) सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी यथा विहित कालावधि के भीतर-भीतर धारा 5 के खण्ड (छ) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा चाही गई टिप्पणियां उपलब्ध करायेगा और यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर टिप्पणियां उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो यह समझा जायेगा कि धारा 14 में यथा उल्लिखित

अध्यपेक्षित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी का कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है।

अनुज्ञापन के लिए
आवेदन के निस्तारण
में विलम्ब

13. (1) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के संज्ञान में यह आने की दशा में कि सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी, या कार्मिक ने आवेदनों के अनुज्ञापन हेतु निपटारे में बिना किसी औचित्यपूर्ण आधार या किसी तुच्छ या द्वेषपूर्ण आधार पर विलम्ब किया है, तो ये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु एवं सुसंगत नियम के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्य करने हेतु उचित आदेश निर्गत कर सकती हैं।
- (2) इस धारा के उपधारा (1) के अन्तर्गत आदेश निर्गत होने के बाद आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी, दोषी अधिकारी या कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

अनुकूलित पैकेजों,
रियायतों, छूटों या
शिथिलीकरण की
मंजूरी

14. जहां सरकार या उसके अधीनस्थ कोई भी अन्य प्राधिकारी ऐसे अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर करने के लिए किसी भी उत्तराखण्ड विधि के अधीन सशक्त किया गया हो, वहां सरकार, राज्य में विनिधान को सुकर बनाने की दृष्टि से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, राज्य में किसी उद्यम या उद्यमों के प्रवर्ग को अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगी।

रियायतों की वसूली

15. (1) किसी उद्यमी द्वारा, इच्छा पत्र अथवा सहमति पत्र जिसके अनुसार रियायत दी गई हो, की किसी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में इस प्रकार दी गई रियायत की राशि वसूल कर ली जायेगी। हालांकि इस नियम के अन्तर्गत तब तक कोई वसूली नहीं की जायेगी जब तक कि निदेशक उद्योग द्वारा इस संदर्भ में एक आदेश निर्गत नहीं किया गया हो।
- (2) इस धारा के उपधारा (1) में उल्लिखित एक आदेश निर्गत करने से पूर्व निदेशक उद्योग दोषी उद्यमी को एक सुनवाई का अवसर देंगे।

अपील

16. कोई भी विनिधानकर्ता —
- (1) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशत समिति को,
 - (2) जिला प्राधिकृत समिति के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य प्राधिकृत समिति को,
 - (3) राज्य प्राधिकृत समिति के आदेशों से व्यथित होने पर सरकार को,

अपील किये जाने वाले आदेश की विनिधानकर्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर अपील कर सकेगा।

दण्ड

17. (1) कोई भी उद्यमी, जो नोडल एजेंसी या दूसरे विभाग या प्राधिकारियों को दिये गये स्वप्रमाणन की शर्तों या शपथ का पालन करने में विफल रहता है, दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के दण्ड योग्य होगा, जो पहले अपराध पर रुपये 5000.00 तक हो सकता है और दूसरे या अधिक अपराधों के लिए रुपये 10000.00 तक जुर्माना हो सकता है।
- (2) इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही में विलम्ब करने के लिए सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान होगा।

**कम्पनियों आदि
द्वारा अपराध**

18. (1) इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा किया गया अपराध, कम्पनी के साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध घटित होने के समय कम्पनी के कार्यों के लिए प्रभारी हो और उत्तराधिकारी हो, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्डित होने योग्य होगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा में कुछ भी अन्तर्विष्ट न हो किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने योग्य नहीं होगा, यदि वह सिद्ध करता है कि अपराध बिना उसके संज्ञान के हुआ या उसने सम्पूर्ण उचित प्रयास किये थे, ऐसे अपराध को घटित होने से रोकने के लिए।

- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन, सहमति या मिलीभगत से किया गया अपराध या किसी निवेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से हुई लापरवाही के कारण घटित अपराध के लिए निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी, उस अपराध के लिए दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्डित होने योग्य होंगे।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के उद्देश्यों के लिए -

(क) "कम्पनी" से किसी भी कॉरपोरेट और एक फर्म या व्यक्तियों के दूसरे संघों से अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशक" एक फर्म के सम्बन्ध में भागीदार या फर्म में मालिक से अभिप्रेत है।

पुनरीक्षण

19. (1) किसी उत्तराखण्ड विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या उसको इस निमित्त किये गये आवेदन पर, किसी भी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकृत समिति या किसी जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष की किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकेगी और उसमें की कार्यवाहियों या उसमें पारित आदेशों के औचित्य का परीक्षण कर सकेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश लोकनीति के विरुद्ध नहीं है, न ही विधि के उपबंधों के विरुद्ध है और उनमें अनुज्ञाओं के लिए

आवेदन के नामजूर किये जाने के मामलों में, इस प्रकार पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेशों के जारी होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर और अनुज्ञाओं की मंजूरी के मामलों में तीन मास के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

- (2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश अंतिम होंगे और समस्त संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

सदभावनापूर्वक की
गई कार्यवाही के
लिए संरक्षण

20.

राज्य प्राधिकृत समिति या जिला प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी समिति के निदेश के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

गोपनीयता

21.

सरकार की कोई भी एजेन्सी या प्राधिकारी या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें उसके अधीन के कृत्यकारी सम्मिलित हैं, विनिधानकर्ता की बौद्धिक सम्पत्ति का निर्माण करने वाली किसी भी सूचना को ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना किसी अन्य विनिधानकर्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत न किये गये किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु यह कि राज्य में किये गये विनिधान के निबंधन और शर्तों तथा सरकार या उसकी किन्हीं भी एजेंसियों या प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में समस्त सूचना सरकार द्वारा जनता को सूचना के लिए अधिसूचित की जायेगी।

अन्तःकालीन उपबन्ध 22.

इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे सभी विनिधान प्रस्तावों पर लागू होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या उसकी एजेंसियों, प्राधिकारियों या उपक्रमों में से किसी के विचाराधीन रहे हैं, यदि सम्बन्धित विनिधानकर्ता विहित प्रारूप और रीति में नोडल एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा विकल्प देता है।

अधिनियम का अन्य
विधियों पर
अध्यारोही होना

23.

इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य उत्तराखण्ड विधि, या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोही प्रभाव रखेंगे।

कठिनाइयों के
निराकरण की शक्ति

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके द्वारा इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की
शक्ति

25. (1) सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र के अवसान के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012

Dated Dehradun, January 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012**' (Adhiniyam Sankhya 05 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 January, 2013.